

धारा 4. (1) (बी) (xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है

20% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी/मार्जिन मनी सब्सिडी की प्रगति
(सीएलसीएस@20%-टीयूएफएस/एमएमएस@20%-टीयूएफएस)

सरकार ने विशेष रूप से विकेंद्रीकृत पावरलूम क्षेत्र की मदद के लिए टीयूएफएस के तहत 20% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना लागू की है। यह योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा 06.11.2003 को घोषित की गई थी और यह केवल एसएसआई पावरलूम इकाइयों पर लागू है। 01.04.2007 से इस योजना का नाम बदलकर 20% एमएमएस कर दिया गया है। योजना के तहत 31.03.2022 तक 4275 दावों के संबंध में 382.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि वितरित की गई है।

15% मार्जिन मनी सब्सिडी की प्रगति
(टीयूएफएस के तहत एमएमएस@15%)

भारत सरकार ने 01.04.2007 को कपड़ा एमएसएमई क्षेत्र के लिए लागू 15% सीएलसीएस (एमएमएस)-टीयूएफएस भी पेश किया था। योजना के तहत 31.03.2022 तक 2937 दावों पर 225.07 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में वितरित की गई है।

8%, 15%, 30% और 15% एवं 30% एमएमएस आरआरटीयूएफएस की प्रगति

भारत सरकार ने कपड़ा एमएसएमई क्षेत्र के लिए 4.10.2013 को 8%, 15%, 30% और 15% और 30% एमएमएस आरआरटीयूएफएस लागू किया। योजना के तहत 31.03.2022 तक 4566 दावों पर 875.84 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में वितरित की गई है।

जीडब्ल्यूएसएस के तहत प्राप्त परियोजना की प्रगति

31.03.2022 तक कुल 344 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें वर्कशेड के निर्माण के लिए 259.61 करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी का प्रावधान है। 31.03.2022 तक कुल 153.91 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। 344 परियोजनाओं में से अब तक 124 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 31.03.2022 तक 71 परियोजनाओं ने 41.45 करोड़ रुपये की भारत सरकार की सब्सिडी हिस्सेदारी को वापस ले लिया/रद्द कर दिया है।